न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/70

नजीर मोहम्मद आत्मज श्री अमीर मोहम्मद जी जाति मुसलमान निवासी चावण्डखेडी तहसील दीगोद हाल मुकाम पलायथा अंता जिला बारां ।

----अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 19.06.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.01.2018 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 के अन्तर्गत ग्राम सुरेला की आराजी जिसके पुराने खसरा नम्बर 449 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा व खसरा नम्बर 524 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर वादी का वाद स्वीकार करने का निवेदन किया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.01.2018 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.01.2018 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत

करने का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । वादग्रस्त आराजी का दिनांक 21.07.1986 को अपीलान्ट के पक्ष में आवंटन कर दिया था और दिनांक 15.09.1986 को उक्त भूमि पर अपीलान्ट आवंटी को दखल दे दिया गया था । तब से ही अपीलान्ट/आवंटी उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है किन्तु बाद सेटलमेंट कायम नवीन खसरा नम्बर 449 का नया खसरा नम्बर 424 रकबा 0.21 हैक्टर और खसरा नम्बर 524 के नये खसरा नम्बर 622 रकबा 0.10 हैक्टर कुल रकबा 0.21 हैक्टर अपीलान्ट के खाते में दर्ज किया गया जो सेटलमेंट के पूर्व रकबे के मुकाबले 0.27 हैक्टर आराजी अपीलान्ट के खाते में कम दर्ज की है जिसे अपीलान्ट द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करने के बावजूद भी अपीलान्ट का वाद खारिज कर दिया जो निरस्तनीय है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 09.01.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

7. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है। वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने अपने वाद को किसी साक्ष्य एवं दस्तावेज से साबित नहीं किया है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 09.01.2018 बहाल रखा जावे ।

8. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्य रूप से निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में उसे सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है । प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान के स्वत्व अधिकारों का निर्धारण होना है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण पारित किया जाना प्रतीत होता है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.01.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 30.07.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

10. निर्णय आज दिनांक 19.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा